रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 497] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1997/भाद्र 10, 1919
No. 497] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 1997/BHADRA 10, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 17/97—02

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1997

का. आ. 622 (अ).—निर्यात एवं आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित तथा समय-समय पर यथासंशोधित आई टी सी (एच एस) क्लासीफिकेशन्स आफ एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट आइटम्स 1997—2002 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. आई टी सी (एच एस) क्लासीफिकेशन्स आफ एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट आइटम्स, 1997—2002 के अध्याय-17 में एग्जिम कोड 17.01 के शीर्ष विवरण के सामने निम्नलिखित अभ्युक्तियां जोड़ी जाएंगी:—

"तथापि सभी चीनी आयात संविदाएं एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवेलेपमेन्ट एथॉरिटी (एपेडा) के पास अनिवार्यत: पंजीकृत होंगी।"

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. आई पी सी/4/5/(420)/92—97 से जारी]

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन
अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 17/97—02

New Delhi, the 1st September, 1997

S.O. 622 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 4.1 of Export and Import Policy, 1997—2002, the Central Government hereby makes the following amendments in ITC(HS) Classifications of Export and Import Items 1997—2002, published on 31st March, 1997 and as amended from time to time.

1. The following remarks shall be added against the heading description of Exim Code 17.01 in Chapter 17 of the ITC(HS) Classifications of Export and Import Items, 1997—2002:—

"However, all sugar import contracts shall be compulsorily registered with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)."

This issues in public interest.

[Issued from File No. IPC/4/5/(420)/92—97]

S. B. MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio,

Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997